

## UPSC CSE 2017 MAINS PAPER 7 NOVEMBER 03, 2017 LAW OPTIONAL PAPER - II QUESTION PAPER

## विधि (प्रश्न-पत्र-II)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

## प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें)

दो खण्डों में कुल आठ प्रश्न दिए गए हैं जो हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

उम्मीदवार को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दें।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों की शब्द सीमा, जहाँ उल्लिखित है, को माना जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें।

## LAW (PAPER-II)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

## QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.



### खण्ड—A / SECTION—A

1. निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। विधिक प्रावधानों व न्यायिक निर्णयों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए :

Answer the following in about 150 words each. Support your answer with legal provisions and judicial pronouncements : 10×5=50

- (a) “विधि इस बात को मान्यता प्रदान करती है कि ‘भूल’ का सद्भावपूर्वक होना आवश्यक है।” इस पृष्ठभूमि में दण्ड संहिता के सामान्य अपवादों के अधीन ‘भूल’ की प्रतिरक्षा को समझाइए।  
“Law recognizes that ‘mistake’ must be in good faith.” In this backdrop, explain the defence of ‘mistake’ contained under General Exceptions of the Penal Code.
- (b) सभी लूटों में या तो चोरी होती है या उद्दापन। व्याख्या कीजिए।  
In all robbery, there is either theft or extortion. Explain.
- (c) “सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का उद्देश्य अस्पृश्यता का अन्त करना है।” विवेचना कीजिए।  
“The object of the Protection of Civil Rights Act, 1955 is to abolish untouchability.” Discuss.
- (d) “कहा जाता है कि अपकृत्य की विधि का विकास ‘जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार भी है’ के सूत्र से हुआ है।” इस कथन पर चर्चा कीजिए।  
“Law of torts is said to be a development of the maxim ‘Ubi jus ibi remedium’.” Discuss the statement.
- (e) अपकृत्य के दायित्व के बचाव के लिए ‘आवश्यकता’ को स्पष्ट कीजिए और इसके साथ आवश्यकता के वर्गों का भी उल्लेख कीजिए।  
Explain ‘necessity’ as a defence for the liability of tort and also mention the classes of necessity.

2. (a) “भारतीय दण्ड संहिता में धारा 34 उन मामलों को निपटाने के लिए सम्मिलित की गई है, जिनमें आपराधिक कार्य में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लिए गए भाग का परिशुद्धतापूर्वक प्रभेद करना अत्यन्त कठिन होता है।”

इस धारा के तर्काधार का परीक्षण करते हुए विनिर्णीत वादों की सहायता से उत्तर का समर्थन कीजिए।

“Section 34 is incorporated in the Indian Penal Code to deal with the cases where it is very difficult to distinguish precisely the part taken by each individual in criminal act.”

While examining the rationality of this Section, support the answer with the help of decided cases. 15

- (b) दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से किसी स्त्री की लज्जा-भंग करने के उन विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए, जिनको भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय बनाया गया है।

Discuss the different forms to outrage the modesty of a woman which have been made punishable in the Indian Penal Code through the Criminal Law (Amendment) Act, 2013. 15



- (c) कब अपकृत्य की विधि के अधीन युक्तियुक्त सावधानी बरतने पर भी कोई व्यक्ति उपेक्षा के अपकृत्य के लिए जिम्मेदार होता है? चर्चा कीजिए।  
When, under the law of torts even using reasonable care, is a person liable for the tort of negligence? Discuss. 20
3. (a) “आपराधिक मानव-वध और हत्या के बीच अत्यन्त सूक्ष्म किन्तु बारीक और दुर्बोध विभेद है। यह अन्तर अनुवर्ती मृत्यु की सम्भावितता की केवल विभिन्न कोटियों में निहित है।” इस कथन पर चर्चा कीजिए और निर्णीत मामलों का उल्लेख कीजिए।  
“There is a very thin but fine and subtle distinction between culpable homicide and murder. The difference lies merely in the different degrees of probability of death ensuing.” Discuss the statement and refer to decided cases. 20
- (b) कब मालिक अपने सेवक के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? व्याख्या कीजिए।  
When is principal not liable for the torts committed by his servant? Discuss. 15
- (c) मानहानि के अपकृत्य की प्रतिरक्षाओं का उल्लेख कीजिए तथा इस पर भी चर्चा कीजिए कि क्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन मानहानि के अपराध के अपवादों को प्रतिवादी के द्वारा अतिरिक्त आधारों के रूप में माँगा जा सकता है।  
Mention the defences of tort of defamation and also discuss whether exceptions given under the Indian Penal Code, 1860 for the offence of defamation may be claimed as additional grounds by the defendant. 15
4. (a) “उपभोक्ता संरक्षण परिषदें भी उपभोक्ताओं के संरक्षण में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।” इस कथन का परीक्षण कीजिए तथा केन्द्रीय, राजकीय व जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के उद्देश्यों, गठन तथा प्रकार्यों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।  
“Consumer Protection Councils also play a very important role in consumer protection.” Examine the statement and elaborate the objects, composition and functions of the Central, State and District Consumer Protection Councils. 20
- (b) “आपराधिक प्रयत्न गठित करने के लिए कारित कार्य का आशयित परिणाम के सन्निकट होना आवश्यक होता है।” निर्णीत वाद-विधि की सहायता से इस सम्प्रेक्षण को समझाइए।  
“In order to constitute criminal attempt, the act caused must be proximate to the intended result.” Explain the observation with the help of decided case law. 15
- (c) ‘दायित्व नहीं’ की संकल्पना को समझाते हुए उन भारतीय अधिनियमों का उल्लेख कीजिए, जिनमें इस संकल्पना को समाहित किया गया है।  
Explaining the concept of ‘no liability’, mention the Indian Acts in which this concept has been incorporated. 15



**खण्ड—B / SECTION—B**

5. निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। उपयुक्त विधिक उपबन्धों और न्यायिक निर्णयों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए :

Answer the following in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and decided cases : 10×5=50

- (a) “अवयस्कता को केवल ढाल के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए, जिनमें अवयस्क संविदा की विधि के अधीन दायी होता है।

“Minority can only be claimed as a shield but not as a sword.” Explain the statement and mention the situations when a minor is liable under the law of contract.

- (b) “लोक नीति एक ‘बेलगाम घोड़े’ की तरह होती है, जिसे सुगमता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा उन करारों का उल्लेख कीजिए जो लोक नीति के विरुद्ध होते हैं।

“Public policy is like an ‘unruly horse’ which cannot be controlled easily.” Explain the statement and mention the agreements which are against public policy.

- (c) “मार्गस्थ माल के रोक का अधिकार तब आरम्भ होता है जब धारणाधिकार समाप्त हो जाता है।” चर्चा कीजिए।  
“Right to stoppage of goods in transit starts when right to lien ends.” Discuss.

- (d) कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अधीन कॉपीराइट अतिलंघन के लिए कार्रवाई में प्रतिवादी द्वारा अभिवचन किए जा सकने वाले विभिन्न प्रतिवादों पर चर्चा कीजिए।

Discuss the various defences which can be pleaded by the defendant in an action for infringement of copyright under the Copyright Act, 1957.

- (e) ट्रेडमार्क का अतिलंघन कब होता है? ट्रेडमार्क के अतिलंघन की परमावश्यक बातों पर चर्चा कीजिए। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का अतिलंघन न बनने वाले कार्यों को लिखिए।

When does the infringement of trademark occur? Discuss the essentials of infringement of trademark. Write down the acts not constituting infringement of registered trademark.

6. (a) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों व प्राधिकार की चर्चा कीजिए। यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल हुआ है? हाल के निर्णयों की सहायता से समझाइए।

Discuss the constitution, jurisdiction, powers and authority of National Green Tribunal. How far has it been successful in achieving its objectives? Explain with the help of recent cases. 20

- (b) “प्रस्ताव का प्रतिसंहरण प्रस्ताव की मृत्यु होता है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए और प्रतिसंहरण के तरीकों का उल्लेख कीजिए।

“Revocation of proposal is death of the proposal.” Explain the statement and mention the manners of revocation. 15



- (c) 'धारक' और 'सम्यक्-अनुक्रम-धारक' की व्याख्या कीजिए तथा दोनों के बीच विभेद कीजिए। उनके अधिकारों पर भी चर्चा कीजिए।  
 Explain 'holder' and 'holder in due course', and distinguish between the two.  
 Also discuss their rights. 15
7. (a) "भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 ने कॉमन लॉ के नुकसानी के अधिनिर्णय के सिद्धान्त की सर्वाधिक दुःखदायी गाँठ को काट दिया है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।  
 "Section 74 of the Indian Contract Act, 1872 has cut down the most troublesome knot of Common Law doctrine of awarding damages." Discuss the statement. 20
- (b) "भारत में पर्यावरण के संरक्षण में लोकहित मुकदमेबाजी ने अत्यन्त निर्णायक भूमिका अदा की है।" निर्णीत वादों की सहायता से उदाहरण देते हुए सविस्तार समझाइए।  
 "Public interest litigation has played a very crucial role in protection of environment in India." Elucidate and illustrate with the help of decided cases. 15
- (c) "शासन की पारदर्शिता के होते हुए भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कुछ विशेष सूचनाओं को प्रकटन से छूट दे दी गई है।" सूचना के प्रकटन पर तत्सम्बन्धी प्रावधानों और परिसीमाओं की चर्चा कीजिए।  
 "Notwithstanding transparency of governance, certain informations have been exempted from disclosure under the Right to Information Act, 2005." Discuss the relevant provisions and limitations on disclosure of information. 15
8. (a) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अधीन पक्षकारों के द्वारा कब समझा जाता है कि संविदा किया जा चुका है? चर्चा कीजिए।  
 Under the Indian Contract Act, 1872, when is a contract deemed to be entered into by the parties? Discuss. 20
- (b) "पेटेंट प्राप्त करने के लिए अन्वेषण को कुछ विशेष शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं।" इस कथन का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए।  
 "An invention has to satisfy certain conditions in order to get a patent." Examine critically the statement. 15
- (c) 'अधिष्ठायी स्थिति के दुरुपयोग' के सन्दर्भ में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (एम० आर० टी० पी० ऐक्ट, 1969) पर कितना सुधारात्मक है? चर्चा कीजिए तथा तत्सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों को समझाइए।  
 How far is the Competition Act, 2002 an improvement over the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (MRTP Act, 1969) with respect to 'abuse of dominant position'? Discuss and explain the relevant statutory provisions. 15

★ ★ ★



